

S96

23 OCT 2026

निविदा

32वीं वाहिनी पीएसी सरोजनी नगर लखनऊ के परिसर स्थित जलपान गृह/कैन्टीन को ठेके पर संचालित कराये जाने हेतु मुहरबन्द निविदा अधोहस्ताक्षरी द्वारा आमंत्रित की जाती है।

वाहिनी परिसर में जलपान गृह/कैन्टीन हेतु 9 फुट x 20 फुट का स्थान बारबर शॉप के बगल में चिन्हित किया गया है। पूर्व में उसी स्थान पर कैन्टीन का संचालन हुआ है।

1- निविदा निर्धारित प्रारूप में ही प्रेषित किया जायेगा, जिसका निविदा प्रारूप कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में रु0 500/- नकद देकर प्रधान लिपिक कार्यालय 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ से प्राप्त किया जा सकता है। निविदादाता द्वारा मुहरबन्द लिफाफे के ऊपर अपना नाम, पता तथा "जलपान कैन्टीन के लिए टेण्डर" अवश्य लिखा जाय। निविदा डालने वाला व्यक्ति निविदा प्रारूप में यह भी स्पष्ट रूप से अंकित करेगा कि "पूर्व में उसको जलपान कैन्टीन/खाद्य पदार्थ की शॉप/दुकान चलाने का कितने वर्ष का अनुभव (Experience) प्राप्त है"।

2- निविदा फार्म/प्रारूप प्राप्त करने की अन्तिम तिथि दिनांक 02.11.2026 है, जो प्रधान लिपिक कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है, जिसका समय प्रातःकाल 10.00 बजे से सायंकाल 05.00 बजे तक निर्धारित किया गया है। मुहरबन्द निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 05.11.2026 को 12.00 बजे तक होगी। मुहरबन्द निविदा तददिनांक 06.11.2026 को सायं 15.00 बजे उपसेनानायक/सहायक सेनानायक/शिविरपाल 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के द्वारा निविदादाता तथा समिति के समक्ष खोली जायेगी। समस्त निविदादाता निविदा खुलने के समय उपस्थित रहेंगे।

3- प्रत्येक निविदादाता निविदा के साथ रु0 5,000-00 की अर्नेष्ट मनी के रूप में एफ0डी0आर0 अथवा सी0डी0आर0 अथवा नकद (निविदा लिफाफे में भरकर) सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के पदनाम से बन्धक कराकर जमा कराना होगा।

4- निविदादाता जलपान की कैन्टीन संचालित करने से पूर्व डाली जाने वाली निविदा के साथ जलपान की प्रत्येक खाद्य सामग्री व पेय सामग्री का भार/मात्रा सहित मूल्य की सूची (जो बाजार रेट से कम हो) संलग्न करेगा।

5- निविदा स्वीकृत हो जाने पर निविदादाता को जमानत (सिक्योरिटी मनी) के रूप में अधिकतम मूल्य पर स्वीकृत मासिक किराये के तीन गुना की धनराशि का एफ0डी0आर0 अथवा सी0डी0आर0 सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के पदनाम से बन्धक कराकर अनुबन्ध पत्र (एग्रीमेन्ट) रु0 100/- नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध कराना होगा।

6- सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ को इस बात का पूर्ण अधिकार होगा कि वह कोई भी निविदा स्वीकार/अस्वीकार कर सकते हैं। अस्वीकृत की गयी निविदा के लिए सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

HC-III
27/10/26
50

7- जिस ठेकेदार के नाम से निविदा स्वीकृत की जायेगी, उस ठेकेदार को कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। ठेकेदार कार्यादेश प्राप्त करके निर्धारित अवधि (तीन दिवस) के अन्दर अनुबन्ध पत्र (एग्रीमेन्ट) भर कर देगा। साथ ही साथ जमानत/(सिक्योरिटी मनी) की धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर प्रधान लिपिक कार्यालय में जमा करेगा। यदि ठेकेदार उक्त कार्यवाही निर्धारित समयावधि में नहीं करता है तो उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी, जिसके लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। उपरोक्त स्थिति में सेनानायक को यह अधिकार होगा कि वह प्रथम ठेकेदार का ठेका निरस्त कर द्वितीय अधिकतम निविदा को स्वीकृत कर दूसरे निविदादाता को जलपान कैन्टीन संचालन करने का अवसर दे सकते हैं। यह निर्णय सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के विवेक पर निर्भर करेगा।

8- निविदादाता कार्यादेश निर्गत होने के उपरान्त कैन्टीन के संचालन में लापरवाही बरतता है अथवा 03 दिवस से अधिक समय तक कैन्टीन को बन्द रखता है तो उसको नोटिस देकर कैन्टीन का टेण्डर निरस्त कर उसकी अर्नेष्ट मनी एवं सिक्योरिटी मनी (धरोहर धनराशि) जमा करने का पूर्ण अधिकार सेनानायक को होगा।

निविदा की शर्तें

1- सेन्ट्रल एमिनिटीज फण्ड में माहवारी रिबेट देने की धनराशि $\text{रु}0-5,000/-$ निर्धारित की गयी है। निविदादाता निविदा डालते समय निविदा प्रारूप में अपना नाम व पिता का नाम के साथ पूर्ण स्थायी पता व दो गवाहों के नाम उनके पूर्ण स्थाई पते सहित भरेगा। जलपान कैन्टीन से सम्बन्धित सामानों की सूची (जो बाजार रेट से कम दर पर हो) प्रस्तुत कर निविदा के साथ लिफाफे में भर कर देगा। साथ ही साथ $\text{रु}0\ 5,000-00$ की धनराशि "अर्नेष्ट मनी" निविदा लिफाफे में भर कर निविदा डालेगा। जिस निविदा लिफाफे में अर्नेष्ट मनी नहीं होगी, उसकी निविदा अयोग्य घोषित मानी जायेगी।

2- वाहिनी में नियुक्त पीएसी कर्मी स्वयं या अपने परिवारीजनों के नाम से निविदा नहीं डालेगा। निविदादाता के स्थाई पते की जांच सम्बन्धित थाने के माध्यम से शिविरपाल द्वारा कराई जायेगी।

3- ठेकेदार को निम्नलिखित शर्तों पर आधारित एक अनुबन्ध पत्र भरना होगा। इसलिए वही व्यक्ति निविदा प्रेषित करें, जिसकों यह शर्तें स्वीकार हो। माहवारी रिबेट के अतिरिक्त ठेकेदार को निम्न चार्ज देने होंगे।

(बिजली चार्ज मीटर रीडिंग के अनुसार)

4- चयनित ठेकेदार जलपान कैन्टीन में अथवा उसके आसपास किसी प्रकार का निर्माण अथवा परिवर्तन सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ की अनुमति के बिना नहीं करायेगा, एवं वाहिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये बिजली मीटर की रीडिंग के अनुसार बिजली का बिल देने का हकदार होगा।

5- सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त ठेकेदार कैन्टीन में स्वच्छता, सजावट का नया सामान तथा अन्यत्र बैठने आदि से सम्बन्धित आवश्यक प्रबन्ध करने के लिये बाध्य होगा।

6- शिविरपाल, 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ जलपान कैन्टीन से सम्बन्धित सभी प्रकार की खाद्य पदार्थों के मूल्यों (बाजार रेट से कम हो) का निर्धारण ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये रेट सूची के अनुसार पर्यवेक्षण करके अद्योहस्ताक्षरी से प्रत्येक माह अनुमोदित करायेगें।

7- जलपान कैन्टीन ठेकेदार को यह स्पष्ट किया जाता है, कि इस कैन्टीन का ध्येय पीएसी कर्मचारियों को एक अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करानी है न कि धनोपार्जन करना है। अतः ठेकेदार पीएसी के प्रत्येक कर्मचारी जो कैन्टीन में आते हैं, को बाहरी व्यक्तियों की अपेक्षा वाहिनी के अधिकारी/कर्मचारियों के साथ ही साथ उनके परिवारीजनों को प्राथमिकता देगा तथा अच्छे स्तर के खाद्य पदार्थ निर्धारित "रेट" जो कि बाजार मूल्य से कम होंगे, को उपलब्ध करायेगा। ठेकेदार जलपान से सम्बन्धित समस्त खाद्य पदार्थों व चाय-पानी आदि की वस्तुओं को सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ से विक्रय करने से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेगा।

8- ठेकेदार कैन्टीन के किसी खाद्य पदार्थ की वस्तुओं को, पूर्व अनुमोदित मूल्य से अधिक रेट पर नहीं बेंचेगा।

9- ठेकेदार खाद्य पदार्थों के भावों की सूची हस्ताक्षर कर जलपान कैन्टीन में टांगेगा। इस निर्देश को मानने के लिए ठेकेदार बाध्य होगा।

10- सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के ऊपर, किसी अधिकारी/कर्मचारी पर किसी प्रकार के उधार की अदायगी का उत्तरदायित्व नहीं होगा।

11- ठेकेदार कैन्टीन में कोई नशीली वस्तु, तस्करी का सामान अथवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कोई वस्तु या पेय पदार्थ/खाद्य सामग्री नहीं बेंचेगा। यदि इस तरह का कोई कृत्य पाया जायेगा तो ठेकेदार के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

12- कैन्टीन के लिए कोई राशन इत्यादि सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ द्वारा प्रदान नहीं किया जायेगा।

13- सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ द्वारा कैन्टीन के लिए उपलब्ध कराये जा रहे कुछ फर्नीचर, पंखे वाटर, कूलर, इत्यादि सामान को अच्छे तरीके रख-रखाव के लिए भी ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

14- कैन्टीन में कोई रोगग्रस्त तथा नाबालिग नौकर नहीं रखा जायेगा।

15- ठेकेदार दैनिक खान-पान की वस्तुएं अत्यन्त सफाई के साथ ढक कर कैन्टीन में रखेगा।

16- जलपान की कैन्टीन खुली होने पर किसी भी समय कोई भी राजपत्रित अधिकारी बिना पूर्व सूचना दिये कैन्टीन का निरीक्षण कर सकते हैं।

17- ठेकेदार के लिए अनिवार्य होगा कि वह वस्तुओं के मूल्यों से सम्बन्धित सूची ऐसे स्थान पर लटकायेगा जहाँ सभी लोग आसानी से देख सकें।

18- ठेकेदार खाद्य पदार्थ साफ बर्तनों में उपलब्ध करायेगा तथा कैन्टीन में टूटे-फूटे बर्तन व गंदगी परिलक्षित नहीं होनी चाहिए।

19- ठेकेदार कैन्टीन/जलपान गृह का ठेका किसी दूसरे व्यक्ति को संचालन करने हेतु नहीं दे सकता है।

20- ठेकेदार को यह ठेका एक वर्ष के लिए दिया जा रहा है। ठेकेदार जलपान/कैन्टीन को बीच में छोड़ता है, या किसी और को संचालित करने हेतु देता है, जिसकी जानकारी होने पर ठेकेदार द्वारा जमा

की गयी "अर्नेष्ट मनी व धरोहर की घनराशि " जब्त कर ली जायेगी, जिसकी लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

21- ठेकेदार यदि अनुबन्ध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, सड़ी-गली वस्तु/खाद्य सामग्री बेचता है, पर्याप्त सफाई नहीं रखता है, निर्धारित मूल्य से अधिक रेट पर सामान बेचने की शिकायत मिलने पर 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ दुर्यवहार करता है, तो सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ को ठेकेदार पर ₹0-500/- तक का जुर्माना एक समय में लगाने का अधिकार होगा।

22- यह ठेका एक वर्ष के लिए होगा और सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये ही ठेका किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

(गोपाल कृष्ण चौधरी)
सेनानायक
32वीं वाहिनी पीएसी
लखनऊ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ
- 2-पुलिस आयुक्त लखनऊ को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
- 3-समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी जोन्स, उ०प्र०।
- 4-समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक अनुभाग/लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ।
- 5-पुलिस अधीक्षक बाराबंकी/उन्नाव/रायबरेली/सीतापुर/हरदोई।
- 6-सेनानायक 35वीं/02/11/27/25वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ/सीतापुर/रायबरेली।
- 7-कमेटी अध्यक्ष-उप सेनानायक, / सदस्य सहायक सेनानायक, शिविरपाल, 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 8-सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी लखनऊ।
- 9-स्टाफ आफीसर पीएसी मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ कि निविदा का प्रकाशन उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।(ई-मेल पर)
- 10- शिविरपाल 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ को प्रचार-प्रसार एवं एक प्रति वाहिनी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने के साथ ही साथ अपेक्षित निर्देशों के अनुसार अनुपालन करने हेतु।